अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515001010600–24

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली तथा हमीरपुर।

संख्याः 1/शा0/84/2014–1/70/2014 लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाईल्स की व्यवस्था को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0–38.423 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–9/2420/33–3–2014–100(12)/2014 दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 द्वारा अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में वित्तीय वर्ष 2012–13 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाईल्स की व्यवस्था हेतु अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0–38.423 लाख (रूपया अड़तीस लाख बयालीस हजार तीन सौ मात्र)** संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1– डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2014–15 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014–15 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–2457/दस–2014–231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014, वित्त आय–व्ययक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–बी–2–2528/दस–2014–10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को आवंटित की जा रही, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगें। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष ''1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक''0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली'' में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा।

5– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या– 14 के लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–101–पंचायती राज–06–सी0सी0रोड़ एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था –24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायगा।

7– सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

11– उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

12– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–63 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा0/84/1/2014 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– जिला पंचायत राज अधिकारी, बरेली तथा हमीरपुर।
6– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली तथा हमीरपुर।
7– मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), बरेली तथा चित्रकूटधाम मण्डल।
8– उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय उ0प्र0।
9– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवंटन दिनांक-20/10/2014

प्रेषण संख्या:- 1-sha-84-2014-1-70-2014
आवंटन आदेश संख्या:- 003-70-2014
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज
06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	722300 55325900	722300 55325900
2	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3120000 27481600	3120000 27481600
	योग	वर्तमान प्रगामी	3842300 82807500	3842300 82807500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अड़तीस लाख बयालीस हजार तीन सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ अठाईस लाख सात हजार पाँच सौ

(शहजाद अहमद अंसारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी